न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री,R.A.S.

प्रकरण संख्या – 02/2017 अपील/प्रतापगढ़

पंजीयन दिनांक– 30.01.2017

निर्णय दिनांक– 25.07.2019

1. श्रीमती देवली पत्नी श्री जीवनलाल
2. श्रीमती देवली पत्नी श्री धन्ना
3. श्री कैलाश पिता श्री नागजी
4. श्री रकिया पिता श्री पांचिया
5. श्री बालूराम पिता श्री दाडमचन्द
   सभी जाति मीणा निवासी अणगौरा तहसील व जिला प्रतापगढ़
6. श्रीमती मांगी बाई पत्नी श्री नाथू जी मीणा निवासी रघुनाथपुरा तहसील व जिला प्रतापगढ़

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्रीमती नन्दु पत्नी रूपलाल मीणा निवासी धमोत्तर तहसील व जिला प्रतापगढ़
2. श्री नाथु पिता श्री नगजी मीणा निवासी अणगौरा तहसील व जिला प्रतापगढ़
3. श्री बाबूलाल पिता श्री तेजाजी मीणा निवासी अणगौरा तहसील व जिला प्रतापगढ़
4. श्री गेंदमल पिता तेजाजी मीणा निवासी अणगौरा तहसील व जिला प्रतापगढ़
5. श्री भंवरलाल पिता श्री तेजाजी मीणा निवासी अणगौरा तहसील व जिला प्रतापगढ़
6. कुशाली उर्फ कुशाला पिता श्री तेजाजी मीणा निवासी अणगौरा तहसील व जिला प्रतापगढ़
7. होलाकी पिता तेजाजी मीणा निवासी खेरमगरी तहसील व जिला प्रतापगढ़
8. हिरा बाई पिता तेजाजी मीणा निवासी खेरमगरी तहसील व जिला प्रतापगढ़
9. श्रीमती सीता बाई पिता उदा मीणा पत्नी श्री भगवानाजी मीणा निवासी चरीटापरा तहसील व जिला प्रतापगढ़
10. श्री गेंदमल पिता श्री तेजाजी मीणा निवासी अणगौरा तहसील व जिला प्रतापगढ़
11. मांगीबाई पत्नी श्री नाथुलाल मीणा निवासी रघुनाथपुरा तहसील व जिला प्रतापगढ़
12. तहसीलदार, प्रतापगढ़
13. सरपंच, ग्राम पंचायत लुहारिया तहसील व जिला प्रतापगढ़

14. श्रीमती हीरा बाई पत्नी अम्बालाल मीणा निवासी कडियावद तहसील व जिला प्रतापगढ़

.....रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः–

श्री पी.सी. पालीवाल : अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री संजय सेन : अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1
श्री योगेन्द्र दशोरा : राजकीय अभिभाशक रेस्पोडेन्ट संख्या 12

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956
विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़
के प्रकरण संख्या 06/2015 निर्णय दिनांक 16.12.2016

निर्णय

दिनांकः 25.07.2019

अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ के प्रकरण संख्या 06/2015 निर्णय दिनांक 16.12.2016 के विरूद्ध दिनांक 24.01.2017 को पेश की गई है।

इस प्रकरण के प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम अणगोरा पटवार मण्डल लुहारीया का नामान्तरकरण सं. 131 दिनांक 20.01.1998 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्री नगजी के चार वारीश उदा, तेजा, नाथू एवं हरीशचन्द्र थे। जिनमें से श्री नगजी के जीवित अवस्था में उसके दो पुत्रों उदा व हरीशचन्द्र की मृत्यु हो चुकी थी। उनके वारीश में उदा की पुत्री सीता तथा हरीशचन्द्र के वारीश में गीता (पत्नी) व नन्दु पुत्री है। प्रश्नगत नामान्तरकरण दो पुत्रों तेजा व नाथू के नाम ही खोला जाकर हमे पेतृक भूमि के अधिकारों से वंचित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 16.12.2016 से पुश्तेनी भूमि में नगजी के सभी पुत्रों का 1/4 हिस्सा मानते हुए नामान्तरकरण संख्या 131 को खारिज करते हुए एवं तहसीलदार प्रतापगढ़ को आदेश दिये कि ग्राम अणगौरा के खातेदार नगजी के जायज वारीसान की सही तहकीकात करा पुनः नामान्तरकरण नये सिरे से खोला जावें। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर अधिवक्ता श्री संजय सेन तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 12 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 11 , 13 व 14 बावजूद सूचना के अनुपस्थित है। उभय पक्षों के अधिवक्ताओं की दिनांक 19.07.2019 को बहस सुनी गई।

बहस के दौरान वकील अपीलान्ट्स द्वारा अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में विवादित नामान्तरकरण वर्ष 1998 में मजमें आम में 17 वर्ष पूर्व विधिवत रूप से दर्ज किया गया था, उक्त नामान्तरकरण के आधार पर अपीलान्ट्स ने उक्त भूमि को विधिवत रूप से क्रय किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद पर निर्णय किये बिना निर्णय पारित किया है। मियाद पर निर्णय पारित किये बिना पारित निर्णय विधिक नहीं है। नन्दू रेस्पोडेन्ट ने बिना पक्षकार हुऐ तथा पक्षकार बनने की अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नामान्तरकरण की अपील की है, जो विधिक नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में सभी पक्षकारों को तामिल कानूनन पूर्ण हुए बिना, विधिवत सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट विधिक क्रेता है। अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये। इसके विपरीत वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाये। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के अनुरूप निर्णय पारित किया है।

हमारे द्वारा उभय पक्ष के कथनोपकथन व पेश शुदा रेकार्ड व बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दीर्घकाल की मयाद के बिन्दू पर किसी प्रकार की विवेचना किये बिना निर्णय पारित किया है। विधि अनुसार किसी भी निर्णय को पारित किये जाने के लिये सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर निर्णय किया जाना होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद पर कोई विवेचना किये बिना निर्णय पारित किया है, इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने सभी पक्षकारों की विधिवत तामिल होने की भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के भी विरूद्ध है। उपरोक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय मियाद पर निर्णय नहीं होने एवं प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध होने से अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि

प्रकरण में सभी पक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर, मियाद पर सर्वप्रथम निर्णय पारित करते हुए विधि अनुसार निर्णय पारित करें। पक्षकारान् अधीनस्थ न्यायलय में दिनांक 25.09.2019 को पेश हो।

निर्णय आज दिनांक 25/07/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official